निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 चैत्र 1940 (श0)

(सं0 पटना 340) पटना, सोमवार, 16 अप्रील 2018

सं० पि०व०–मुकदमा–75–01/2018–844
पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संकल्प

11 अप्रील 2018

विषयः– **भारत सरकार एवं राज्य सरकार की प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के आधार पर पिछडा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए दर की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए निर्गत विभागीय संकल्प सं0–2014 दिनांक 21.08.2015 की कंडिका–3(ग) में अंकित ''नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी'' को अन्य केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों की वर्गीकरण सूची से हटाते हुए ''स्टेट एक्ट से गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी'' पढ़ने की स्वीकृति के साथ अन्य केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों के समरूप निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर प्रवेशिकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्गके प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को छात्रवृति प्रदान करने के लिए राज्य योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना संचालित है। इस योजना के तहत् विधिवत मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को छात्रवृति की स्वीकृति दी जाती है।

2. भारत सरकार एवं राज्य सरकार की प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के आधार पर पिछडा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए दर की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के पश्चात निर्गत विभागीय संकल्प सं0–2014 दिनांक 21.08.2015 की कंडिका–3(ग) में वर्णित है कि–''केन्द्रीय सरकारी शिक्षण संस्थानों (यथा–आई0आई0टी0 तथा एन0आई0टी0 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क सहित अधिकतम क्रमशः रू० 90000/– तथा रू० 70000/– की दर) एवं अन्य केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों यथा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एन0आई0एफ0टी0, जे0 आई0पी0एम0ई0आर0, ए0आई0आई0एम0एस0 आदि में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क सहित अधिकतम रू० 75000/– की दर छात्रवृत्ति अनुमान्य होगी एवं निर्धारित शिक्षण एवं अन्य अनिवार्य शुल्क तथा अधिकतम सीमा में न्यूनतम होगा, उसी दर पर भुगतेय होगा।''

3. उक्त संकल्प की कंडिका–ग में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को अन्य केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों के साथ सम्मिलित कर निर्धारित शिक्षण शुल्क की अनुमान्यता का निर्णय लिया गया था। समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ है कि सभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्टेट एक्ट से गठित शिक्षण संस्थान हैं।

4. वर्णित परिस्थिति में राज्य सरकार सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत निम्नांकित निर्णय लिए गए हैं :–

(i) प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के आधार पर पिछडा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए दर की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए निर्गत विभागीय संकल्प सं0–2014 दिनांक 21.08.2015 की कंडिका–3(ग) में अंकित ''नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी'' को अन्य केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों की वर्गीकरण सूची से हटाते हुए ''स्टेट एक्ट से गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी'' पढ़ने की स्वीकृति।

(ii) स्टेट एक्ट से गठित सभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों के समरूप निर्धारित शिक्षण एवं अन्य अनिवार्य शुल्कों का भुगतान संकल्प सं0–2014 दिनांक 21.08.2015 के निर्गत होने की तिथि से रू० 75000/–(पचहत्तर हजार रू0) की दर पर छात्रवृत्ति अंतर्गत शिक्षण एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की अधिकतम राशि का भुगतान करने की स्वीकृति।

(iii) इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्गत संकल्प सं0–2014 दिनांक 21.08.2015 एवं उसके पश्चात् इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत संकल्पों को इस हद तक संशोधित करने की स्वीकृति।

आदेश:– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराई जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 340-571+1500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in